संख्या- 745 परि0-475/परि॰ 1/2003

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1- जिलाधिकारी,
चमोली/रुद्रप्रयाग ।

2- पुलिस अधीक्षक,
चमोली/रुद्रप्रयाग ।

परिवहन विभाग, देहरादून: दिनांक 29 नवम्बर, 2003

विषय:- "पर्वतीय मार्गों में घटित होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में।"

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, चमोली के फैक्स संदेश संख्या-544/अठारह-03/2003"04, दिनांक 17नवम्बर, 2003 एवं जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के फैक्स दिनांक 27अक्टूबर, 2003 के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में बार-बार यह तथ्य आ रहे हैं कि ओवर-लोडिंग एवं अन्य अनेक कारणों से पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन दुर्घटनाओं की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। जिलाधिकारी, चमोली द्वारा प्रेषित उपरोक्त पत्र में यह अवगत कराया गया है कि महेन्द्रा कमाण्डर में 17 पैसेंजर बैठे हुए थे, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। स्पष्ट है कि यह दुर्घटना मुख्यतया ओवर-लोडिंग के कारण हुई थी। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी शासनादेश दिनांक 03जनवरी, 2003 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं, जिसमें परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। मा0उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा भी इस सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या-476/परि॰-475/परि॰ 1/2003, दिनांक 21अगस्त, 2003 द्वारा पुन: कड़े निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये जा चुके हैं। उपरोक्त के बावजूद भी ओवर-लोडिंग एवं परमिट की शर्तों के उल्लंघन के अनेक मामले शासन के संज्ञान में आ रहे हैं। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। अत: कृपया इस स्थिति पर तत्काल नियंत्रण करने हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने एवं ओवर-लोडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को यथासमय अवगत कराया जाना भी सुनिश्चित करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ओवर-लोडिंग एवं परमिट की शर्तों के

उल्लंघन के फलस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं के लिए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक भी समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः कृपया इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

§ नृप सिंह नपलच्याल §
प्रमुख सचिव।

संख्या- §1§ परि0-475§परि॰ §/03, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि अपर परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु अपने स्तर से भी सम्बंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश निर्गत किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

§ जी॰बी॰ओली §
अनु सचिव।